न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 133-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-12-2005- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 488/2001-02 अपील

रामप्रसाद पुत्र रामविशाल पटैल
ग्राम बरेठी तहसील मेहर जिला सतना ---अपीलांट

विरूद्ध

1- भोला सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह
2- रामसुजान पुत्र नर्वदा सिंह
3- अभयराज सिंह 4- अवधराज सिंह
5- सुदामा 6- सभाराज सिंह
पुत्रगण रामदुलारे सिंह सभी निवासीगण
ग्राम बरेठी तहसील मेहर जिला सतना
7- मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री कुवेर प्रसाद अग्निहोत्री)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01-11-2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 488/2001-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-12-05 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बरेठी के आम नागरिकों की ओर

से अनावेदक क-1 ने नायव तहसीलदार मैहर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बरेठी की आराजी 283 एंव 310 से आने-जाने का आम रास्ता है किन्तु उसे अवरूद्ध कर दिया गया है जिसे खुलवाया जावे। नायव तहसीलदार मेहर ने प्रकरण क्रमांक 5 अ13/1998-99 पॅजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 2-8-2001 पारित करके रास्ता कायम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण क्रमांक 129/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2002 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की तथा आराजी क्रमांक 283 में 3 फीठ पगडन्डी रास्ता आवागमन के लिये बहाल किये जाने के आदेश दियै। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 488/2001-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-12-05 से अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30-3-2002 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-8-2001 को यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट् के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचाराधीन अपील प्रकरण में मूल न्यायालय तहसील मैहर है जिन्होंने प्रकरण क्रमांक 5 अ13/1998-99 में आदेश दिनांक 2-8-2001 अंतिम आदेश पारित किया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मेहर के न्यायालय में प्रस्तुत हुई है एंव प्रथम अपील क्रमांक 129/2000-01 में आदेश दिनांक 30-3-2002 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी ने अपील का निराकरण किया है। इस आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत हुई है एंव द्वित्तीय अपील प्रकरण में आदेश दिनांक 12-12-05 पारित करके अपर आयुक्त ने द्वित्तीय अपील का

निराकरण किया है जिसके विरूद्ध यह तृतीय अपील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत की गई है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तृतीय अपील का प्रावधान नहीं है जिसके कारण विचाराधीन अपील ग्राह्य योग्य एंव श्रवण योग्य नहीं है। विचाराधीन अपील प्रकरण दिनांक 12-1-2006 को पॅजीबद्व कराया गया है एंव अंतिम तर्क 16-5-17 को किये गये हैं किन्तु इतनी लम्बी अवधि के दरम्यान अपील को निगरानी में बदलने का आवेदन नहीं दिया गया है एंव बहस के दौरान भी यह प्रार्थना नहीं की गई है। प्रकरण का पेटा पूर्ण है जिसके कारण अपील को निगरानी में बदलकर आदेश पारित करना द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत अधिकारों एंव प्राप्त सारवान न्याय से बंचित करना माना जावेगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रचलन-योग्य एंव सुनवाई योग्य न होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर